

I/516/2021



Central Pollution Control Board

(Ministry of Environment, Forests & Climate Change, Govt. of India)

Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar,
Delhi – 110032.

21st October, 2021

CIRCULAR

Sub: Accepting gifts / valuable articles, etc. is derogatory from Members of Public on occasion of festivals – regarding.

Rule 13 of CCS (Conduct) Rules, 1964 prohibit acceptance of any gifts, valuable articles, etc. on the occasions of festivals, marriages by any Government Servant or permit any member of his family or any other person acting on his behalf from the members of public or otherwise. Rule 3 (1) (iii) ibid, lays down that every government servant shall at all-time do nothing which is unbecoming of a government servant. Any kind of gift, articles even when voluntarily offered by any members of public is clearly a violation of these rules and any government servant indulging in this malpractice shall render himself liable for action for his misconduct for contravening the provisions of these rules.

02. All the employees are hereby warned that demand or acceptance of any kind of gifts or valuable articles from the member of public even on the occasion of festival should in no case be resorted to. Any breach of this directive would result in serious consequences and deterrent action would be taken against such Government Servant who is found guilty of indulging in this malpractice.

03. This issues with the approval of the Competent Authority, Central Pollution Control Board.

(Sunil Kumar Anand)
Administrative Officer (P)

Distribution:

- | | | |
|----|--------------------|--|
| 1. | D.H. Building, | To direct the security staff that no visitors should be allowed to carry any gift items inside the premises. |
| 2. | All Division Head | With a request to circulate it among the staff working under their control. |
| 3. | All RDs | With a request to circulate it among the staff working under their control. |
| 4. | Head I.T. Division | With a request to upload it on website. |
| 5. | PA to CCB | |
| 6. | AO to MS | |
| 7. | Notice Boards | |

I/516/2021



केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय)

परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली – 110032

दिनांक 21.10.2021

परिपत्र

विषय : - त्यौहारों पर जनता से उपहार/ कीमती वस्तुएं आदि स्वीकार करना अनादरपूर्वक होने के संबंध में।

केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 का नियम 13 किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा जनता अथवा अन्य किसी से भी त्यौहारों, शादियों आदि के अवसर पर कोई भी उपहार, कोई कीमती वस्तु ग्रहण करना निषिद्ध करता है। नियम 3(1)(iii) भी वही व्यक्त करता है की कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी समय ऐसा नहीं करेगा, जो उसको शोभा न दे। किसी भी किस्म के उपहार, वस्तु, चाहे वह किसी भी व्यक्ति द्वारा स्वैच्छिक आधार पर ही क्यों न दी गई हो, किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा उसे स्वीकार करना इस नियम का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है। यदि कोई भी सरकारी कर्मचारी इस अनाचार में संलिप्त होता है, तो इन नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जायगी।

02. सभी अधिकार्यों/कर्मचारियों को इसके द्वारा चेतावनी दी जाती है की त्यौहारों के अवसर पर किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार के उपहार अथवा कीमती वस्तुओं की मांग/ग्रहण करने की स्थिति में बोर्ड की ओर से कोई समर्थन नहीं दिया जाएगा। इस निदेश के हनन होने पर गंभीर परिणाम भुगतने होंगे तथा ऐसे सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जायगी, जो इस अनाचार में संलिप्त पाया जाएगा।

03. यह परिपत्र सक्षम प्राधिकारी, केंद्रीय बोर्ड के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(सुनील कुमार आनंद)

प्रशासनिक अधिकारी व सतर्कता अधिकारी

वितरण: -

- | | | |
|---|-------------------------------|---|
| 1 | प्रभारी भवन | कृपया सभी सुरक्षा गार्डों को निदेश दें की आगंतुकों को कार्यालय परिसर में किसी भी प्रकार के उपहार लाने की अनुमति न दी जाए। |
| 2 | सभी प्रभाग प्रमुख, | कृपया इसे अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों में परिचालित करें। |
| 3 | सभी क्षेत्रीय निदेशालय | कृपया इसे अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों में परिचालित करें। |
| 4 | प्रभाग प्रमुख, आई.टी. प्रभाग, | कृपया इसे सीपीसीबी की वैबसाइट पर अपलोड कर दें। |
| 5 | अध्यक्ष के निजी सहायक | |
| 6 | सदस्य सचिव के प्रशा. अधिकारी | |
| 7 | सभी सूचनापट्ट | |